

III निगरानी (अशोकनगर) भू-रा/2017/2085

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

1. अरविन्द पुत्र हरनाम सिंह रघुवंशी
 2. सुनील पुत्र श्रीराम रघुवंशी
- निवासीगण ग्राम धतूरिया तहसील व जिला
अशोकनगर म.प्र.

--- आवेदकगण

विरुद्ध

गोविन्दा पुत्र गणेशा निवासी ग्राम धतूरिया
तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

--- अनावेदक

श्री. एस. पी. पाण्डे ए.
द्वारा आज दि. 05/07/17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय
तहसीलदार महो. तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्र.क.
33/2016-17/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 के विरुद्ध

निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगणगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :-

1. यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो. अशोकनगर के समक्ष भूमि सर्वे क. 25/2 रकवा 0.836 हे. के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अधीन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क.

— 2

- 2 -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>11/4/18</p>	<p>प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित ।</p> <p>2- यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-12/2016-17 में की गयी सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु सीमांकन से संबंधित है(सीमांकन हेतु प्रस्तावित सर्वे क्रमांक 425/2 को बाद ग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा)।</p> <p>3- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही करने से पहले सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी नहीं किए गये और न ही आवेदक को ही कोई सूचना पत्र जारी किए गये। और न ही सीमांकन कार्यवाही की जानकारी ही दी गयी। सीमांकन की कार्यवाही बाला बाला की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि सीमांकन विहित अधिकारी द्वारा न किया जाकर पटवारी द्वारा किया गया है। संहिता में सीमांकन हेतु राजस्व अधिकारी को करने का अधिकार है पटवारी को सीमांकन कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके</p>	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरुद्ध गोबिन्दा

अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यह दुहराया न जाकर विचार में लिया जा रहा है निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि किया गया सीमांकन विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4- उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रथमतः तो जो सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.06.17 चुनौती युक्त है वह सक्षम अधिकारी द्वारा न की जाकर पटवारी द्वारा की गयी है इस प्रकार यह कार्यवाही अधिकारिता वाहय है पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार ही नहीं है इस तथ्य की पुष्टि राजस्व निरीक्षक के सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 30.06.17 से भी होती है। द्वितीय यह कि जारी सूचना पत्र दिनांक 27.06.17 पर हरनाम सिंह के कोई हस्ताक्षर नहीं है सिर्फ कोटवार की टीप अंकित है कि हस्ताक्षर से हरनाम सिंह द्वारा इन्कार किया गया। पंचनामा दिनांक 28.06.17 पर भी आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में मुख्य रूप से विधिक त्रुटि यह है कि आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा संपन्न की गयी है जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.17 को की गयी है। सीमांकन के संबंध में संहिता की धारा 129(2) अ.(5) में- धारा 129 के अधीन शक्तियां प्रदत्त- में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है







प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

कि "इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता"। इसी प्रकार इसी धारा में राजपत्र दिनांक 23.12.10 को प्रकाशित अधिसूचना क्र.एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार धारा 129 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षको को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गयी हैं। उपरोक्त प्रकार से संहिता में वर्णित एवं प्राधानित नियमों से स्पष्ट है कि पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार नहीं है सिर्फ राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का अधिकार है। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर पटवारी द्वारा किए गये सीमांकन को राजस्व निरीक्षक द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है जो कानून का घोर उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.6.17 किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- परिणामस्वरूप सीमांकन की आक्षेपित कार्यवाही निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत समस्त हितवद्ध सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें। पक्षकारों को भी आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त दर्शित अवधि में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सीमांकन की कार्यवाही में सक्षम अधिकारी का सहयोग करें। तहसीलदार को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को अधिकारिता वाह्य कार्यवाही करने के लिए उक्त दोनों दोषी






प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

राजस्व निरक्षक एवं पटवारी को नामांकित कर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा भविष्य के लिए सचेत करें कि वे भविष्य में इस प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही न करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो।


(डॉ०एम०के०अग्रवाल)

सदस्य

